भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या -245
दिनांक 02.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

रासायनिक उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन योजना

245. श्री नीरज डांगी:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में रसायन उद्योग में विदेशी निवेश की वर्तमान स्थिति क्या है और इसमें वृद्धि हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने रासायनिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई नई नीति या प्रोत्साहन योजना लागू की है; और

(ग) क्या सरकार ने रासायनिक उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कोई नए मानक या दिशा-निर्देश जारी किए हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रसायन एवं पेट्रोरसायन क्षेत्र में किया गया कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) इस प्रकार है:

अवधि	**वित्तीय वर्ष 2023-24**	**वित्तीय वर्ष 2024-25**	**वित्तीय वर्ष 2025-26 (अप्रैल-सितंबर)**
मिलियन अमरीकी डॉलर	844	1060	534.12
करोड़ रुपये	6,985	8,942	4,598.19

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने निवेशक अनुकूल एफडीआई नीति बनाई है, जिसके तहत रसायन एवं पेट्रोरसायन क्षेत्र स्वचालित मार्ग के जरिए 100% एफडीआई के लिए खुला है।

(ख) भारत सरकार ने भारतीय रासायनिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:

- रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्रों (पीसीपीआईआर) में निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन हेतु पीसीपीआईआर नीति अधिसूचित की है। पीसीपीआईआर एकीकृत और पर्यावरण अनुकूल तरीके से रसायन एवं पेट्रोरसायन क्षेत्रों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देते हैं। पीसीपीआईआर की संकल्पना एक क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण के साथ की गई है जिसमें व्यवसाय स्थापित करने और निर्यात संवर्धन के लिए अनुकूल प्रतिस्पर्धी वातावरण प्रदान करने हेतु साझा अवसंरचना और सहायक सेवाएँ शामिल हैं। वर्तमान में आंध्र प्रदेश (विशाखापत्तनम), गुजरात (दाहेज) और ओडिशा (पारादीप) राज्यों में तीन पीसीपीआईआर अधिसूचित किए गए हैं।
- रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने प्लास्टिक पार्कों की स्थापना हेतु एक योजना शुरू की है। यह योजना आवश्यक अत्याधुनिक अवसंरचना और सक्षम साझा सुविधाओं के साथ आवश्यकता-आधारित प्लास्टिक पार्कों की स्थापना को बढ़ावा देती है। इसका उद्देश्य डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग की क्षमताओं को समेकित और समन्वित करना है ताकि इस क्षेत्र में निवेश, उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के साथ-साथ रोज़गार सृजन में भी मदद मिल सके। इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार परियोजना लागत के 50% तक अनुदान राशि प्रदान करती है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति परियोजना 40 करोड़ रुपये है। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, अब तक 9 प्लास्टिक पार्क अनुमोदित किए जा चुके हैं और ये कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

- भारत सरकार निर्यात अवसंरचना में कमियों को दूर करके और केंद्रित निर्यात अवसंरचना का निर्माण करके निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उद्देश्य से निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना योजना (टीआईईएस) लागू कर रही है। यह योजना सीमावर्ती (बॉर्डर) हाट, भूमि सीमा शुल्क केंद्र, गुणवत्ता परीक्षण और प्रमाणन प्रयोगशालाएँ, शीत भंडारगृह, व्यापार संवर्धन केंद्र, शुष्क बंदरगाह, निर्यात भंडारण और पैकेजिंग, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईज़ेड) और बंदरगाहों/हवाई अड्डों पर कार्गो टर्मिनल जैसी व्यापक

निर्यात संपर्क वाली अवसंरचना परियोजनाओं की स्थापना और उन्नयन के लिए सहायता प्रदान करेगी।

- निर्यात किए गए उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (आरओडीटीईपी) योजना का कार्यान्वयन, जिसे 15.12.2022 से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रसायनों सहित क्षेत्रों को कवर करने के लिए विस्तारित किया गया है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2030-31 तक के लिए 25,060 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) को मंज़ूरी दे दी है। यह मिशन दो एकीकृत उप-योजनाओं के माध्यम से संचालित होगा: निर्यात प्रोत्साहन- जो विभिन्न माध्यमों से एमएसएमई के लिए किफायती व्यापार वित्त तक पहुँच सुगम बनाने पर केंद्रित है, और निर्यात दिशा - जो गैर-वित्तीय सक्षमताओं पर केंद्रित है जो निर्यात गुणवत्ता और अनुपालन सहायता, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग, पैकेजिंग के लिए सहायता और व्यापार मेलों में भागीदारी, निर्यात भंडारण और रसद आदि सहित बाजार की तत्परता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाती हैं।
- सरकार ने व्यापार को सुविधाजनक बनाने और निर्यातकों द्वारा मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के उपयोग को बढ़ाने के लिए मूल प्रमाण पत्र के लिए एक सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है।

(ग) भारत सरकार ने व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं (ओएसएच एंड डब्ल्यूसी) संहिता, 2020 अधिनियमित की है, जो 21.11.2025 से लागू है। यह संहिता रासायनिक उद्योगों सहित संहिता के अंतर्गत पंजीकृत कारखानों में कार्यरत व्यक्तियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण की रक्षा के लिए कार्य स्थितियों और कार्यस्थल के वातावरण को विनियमित करती है।

इसके अलावा, खतरनाक रसायनों की हैंडलिंग के कारण होने वाली बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने खतरनाक रसायन निर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 को अधिसूचित किया है। इसके अलावा, एमओईएफसीसी और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने 'एमएसआईएचसी नियम, 1989 के तहत कवर किए गए पृथक भंडारणों और उद्योगों के संबंध में रसायन सुरक्षा के लिए एकीकृत मार्गदर्शन तंत्र' विकसित किया है।

*****